

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708,

Fax - 2262558

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/सा.स्था.-05/151/2025/10884

नवा रायपुर, दिनांक 17/12/2025

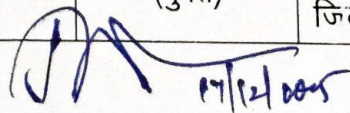
// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1-34/2022/25-1 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 के द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 एवं यथा संशोधित 2014 के नियम 6,8,12 एवं अनुसूची-3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा के घोषित परिणाम दिनांक 30.12.2024 की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" के रिक्त पदों पर नीचे दर्शित कालम नं०-04 में चयनित अभ्यर्थियों को अधीक्षक श्रेणी "द" के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 (वेतनमान-मैट्रिक्स) लेवल-6 में कॉलम क्रमांक-06 में अंकित प्री. मैट्रिक छात्रावास में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है -

सक्र.	छ.ग. व्यापम द्वारा जारी वरीयता क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	चयनित श्रेणी	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	89	दीपक अग्रवाल	सजन अग्रवाल	अनारक्षित (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खोंगसरा, वि.ख. कोटा, जिला-बिलासपुर
2	95	नवनीत कुमार पटेल	जयलाल पटेल	अनारक्षित (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास कोटाडोल, वि.ख. भरतपुर, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
3	96	ऋषभ शुक्ला	रविप्रसाद शुक्ला	अनारक्षित (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खारा, वि.ख. बोड़ला, जिला-कबीरधाम
4	364	खुशबु चटर्जी	उत्पल चटर्जी	अनारक्षित (महिला)	प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास हरिहरपुर, वि.ख. प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर
5	404	अभिलाषा सिंग	विजेन्द्र सिंग	अनारक्षित (महिला)	प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास गणेशपुर, वि.ख. रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर
6	16041	रविकांत भट्ट	नंद किशोर भट्ट	अनारक्षित (भू.पू.सै.)	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास टेलकाडीह, वि.ख. खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
7	20068	अब्दुल शकुर मेमन	मोहम्मद याहया मेमन	अनारक्षित (भू.पू.सै.)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नरहरदेव कांकेर, वि.ख. कांकेर, जिला-कांकेर
8	124	टिकेश्वर देवांगन	दशरथ लाल	अ.प.वि. (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास खोकसा, वि.ख. बसना, जिला-महासमुंद

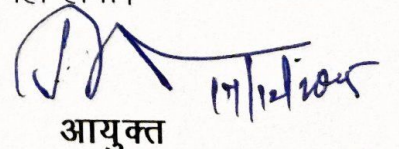
 17/12/2025

सक्र.	छ.ग. व्यापम द्वारा जारी वरीयता क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	चयनित श्रेणी	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
9	2536	तोशन लाल	धनेश राम	अनु. जनजाति (मुक्त बैकलॉग)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बड़गांव, वि.ख. कोयलीवेड़ा, जिला-कांकेर
10	2540	लोकेश कंवर	मनोहर सिंह कंवर	अनु. जनजाति (मुक्त बैकलॉग)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दर्शीपारा, वि.ख. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
11	2550	चन्द्रप्रकाश रावते	सहदेव राम रावते	अनु. जनजाति (मुक्त बैकलॉग)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोदागांव, वि.ख. अंतागढ़, जिला-कांकेर
12	2568	हेमन्त कुमार सिदार	सूदर्शन सिंह	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भटगांव, वि.ख. बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
13	2642	लुमेश देहारे	महादेव देहारे	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया, वि.ख. खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
14	2703	जयाँशुदीप धुव	टेकराम धुव	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास कोटमीकला, वि.ख. पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
15	2714	कृष्ण कुमार राज	रामेश्वर सिंह राज	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नोनदरहा, वि.ख. करतला, जिला-कोरबा
16	2823	विकास लकड़ा	बेलसज्जर लकड़ा	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास कांसाबेल, वि.ख. कांसाबेल, जिला-जशपुर
17	2827	अविनाश धुव	मनेश्वर सिंह धुव	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोलर, वि.ख. अंतागढ़, जिला-कांकेर
18	2832	डेविड साय पैकरा	सिरीबन्तो साय पैकरा	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास, नारायणपुर, वि.ख. कुनकुरी, जिला-जशपुर
19	2855	अमित कुमार	देव सिंह	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सुखरीकला, वि.ख. करतला, जिला-कोरबा
20	2882	मंजीत तिग्गा	पृथ्वीसेन तिग्गा	अनु. जनजाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेहड़ा, वि.ख. शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर
21	4796	रेणुका ठाकुर	बीर सिंह ठाकुर	अनु. जनजाति (महिला)	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरामटोला, वि.ख. मोहला, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी
22	39011	प्रेरमू कुमार	राजेन्द्र कुमार	अनु. जनजाति (मुक्त भू.पू.सै.)	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास तुड़गें, वि.ख. भानूप्रतापपुर, जिला-कांकेर
23	509	शुभम जांगड़े	के के जांगड़े	अनुसूचित जाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास खोड़री, वि.ख. गौरेला, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
24	521	बालेश्वर प्रसाद	मनहरण लाल	अनुसूचित जाति (मुक्त)	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास धोबहर, वि.ख. मरवाही, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही



नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान में कार्यालयीन दिवस पर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में उपस्थिति देनी होगी, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनका नियुक्ति आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति मेरिट क्रम में नियमानुसार एवं पात्रतानुसार की जायेगी।
2. उम्मीदवारों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर की जाती है।
3. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अस्थायी नियुक्ति के दौरान इनकी सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
5. शासकीय सेवक द्वारा सेवा छोड़ने से पूर्व 01 माह का सूचना अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा। यदि शासकीय सेवक द्वारा इसके बिना सेवा छोड़ी जाती है, तो देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. उम्मीदवारों की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। पुलिस चरित्र सत्यापन में अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
7. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र संदेहास्पद होने पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित कराया जायेगा। यदि संबंधित की जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो संबंधित की सेवा समाप्त करते हुए झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
8. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि./नि./चार, दिनांक 11 मई 2022 के अनुसार, नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नयी परिभाषित पुरानी पेंशन (ओ.पी.एस.) योजना लागू होगी।
9. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3, नवा रायपुर, दिनांक 23.06.2013 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक-7 के संदर्भ में कार्य-भार ग्रहण करते समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्तानुसार सारणी में अंकित उम्मीदवारों को नियुक्ति उपरांत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम-2010 के अध्याय 6 के नियम-42 अंतर्गत प्रावधानित अध्ययन अवकाश की पात्रता पूर्ण होने के पूर्व किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, और न ही वे ऐसे अवकाश की मांग करेंगे। सेवा में उपस्थिति के समय कार्यालय प्रमुख को इस आशय का सहमति/शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति उपरांत उपस्थिति देने वाले छात्रावास अधीक्षक श्रेणी - 'द' की वरिष्ठता सूची व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परीणाम में उल्लेखित वरीयता क्रम में निर्धारित किया जायेगा।
12. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होगा।
13. नियुक्ति स्थान पर पद भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं 02 प्रतियों में स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र देना होगा।
15. अर्हता प्रमाण पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करने हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
16. पदस्थापना स्थान से आगामी तीन वर्षों तक स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।



आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

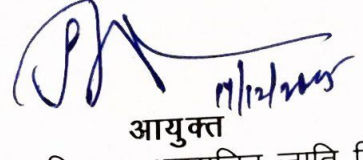
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

//04//

पृ. क्रमांक/सा.स्था.-05/151/2025/10885
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 17/12/2025

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. कलेक्टर, जिला(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जिला (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित श्री/सुश्री जिला की ओर पालनार्थ।


17/12/2025

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़